वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्या :184/XVII–02/09–बजट10(16)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–02

देहरादून : दिनांक : 30 अप्रैल, 2009

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान में अनुदान संख्या 15 एवं 30 के आयोजनागत पक्ष में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 205/XXVII/(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान (01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई 2009 तक) में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0) योजनान्तर्गत **अनुदान संख्या–15 एवं 30 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि में से क्रमशः रू0 857.17 लाख (रू0 आठ करोड सतावन लाख सत्रह हजार मात्र) एवं रू0 476.33 लाख (रू0 चार करोड़ छिहत्तर लाख तैतींस हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 1333.50 लाख (रू0 तेरह करोड़ तैतीस लाख पच्चास हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । जिसमें भारत सरकार द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में उनके पत्र दिनांक 13–02–2009 द्वारा आवंटित धनराशि में से अवशेष रू0 525.36 लाख एवं रू0 621.10 लाख अर्थात कुल रू0 1146.46 लाख की धनराशि भी उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु सम्मिलित है ।

1. उक्त आवंटित की जा रही धनराशि में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की धनराशि सम्मिलित है परन्तु उक्त धनराशि में से अभी केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, के पात्र लाभार्थियों पर ही व्यय किया जाय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना पर व्यय लाभार्थियों के चिन्हीकरण करने एवं शासन से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
2. शेष धनराशि के व्यय की स्वीकृति भारत सरकार से उत्तरोत्तर किश्त प्राप्त हो जाने पर पृथक से समय–समय पर प्रदान की जायेगी । योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
3. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. लेखा अनुदान द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया

जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य /लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 एवं 30 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

8. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

11. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शेष धनराशि के सम्बन्ध में उत्तरोत्तर किश्त प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

12. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान के अनुदान संख्या 15 एवं 30 के "आयोजनागत पक्ष" में संलग्न विवरण में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 20 (p) /xxvii(3)/2009 दिनांक 27 अप्रैल, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 185 / XVII–02 / 09–बजट10(16) / 2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. चीफ पोस्ट मॉस्टर जनरल उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त प्रवर डाकघर अधीक्षक / डाकघर अधीक्षक / जनपदों के प्रधान पोस्टमास्टर, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
11. उप सचिव(एन0एस0ए0पी0)ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
12. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला, बी0ओ0बी0, ओ0बी0सी0, केनरा बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इलाहाबाद बैंक, यू0बी0आई0, आई0ओ0बी0 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, देना बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, इण्डियन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र,विजया बैंक, जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष–उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक ।
13. उपमहाप्रबन्धक, पी0एन0बी0, सर्किल कार्यालय ए–1 पल्टन बाजार,देहरादून ।
14. मण्डलीय प्रबन्धक, यू0को0 बैंक, सिंडीकेट बैंक ।
15. आंचल प्रबन्धक, बैंक आफ इण्डिया, कार्पोरेशन बैंक ।
16. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर भारत क्षेत्र यूनाईटेड बैक आफ इण्डिया ।
17. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
18. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून ।
20. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–60–800–01–01
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
लघु शीर्षक : 800–अन्य व्यय
उप शीर्षक : 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ
ब्यौरेवार शीर्षक : 01–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0)

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	85717
योग	85717

(रूपये आठ करोड़ सतावन लाख सत्रह हजार मात्र)

अनुदान संख्या–30 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–60–800–01–01
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम
लघु शीर्षक : 800–अन्य व्यय
उप शीर्षक : 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 01–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	47633
योग	47633

(रूपये चार करोड़ छिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र)

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या 15, एवं 30 (एन0एस0ए0पी0) का महायोग	133350

(रू0 तेरह करोड तैंतीस लाख पच्चास हजार मात्र)

(मनीषा पंवार)
सचिव।